



पूर्व अनुबंध अखंडता संधि

सामान्य

यह पूर्व-बोली पूर्व-अनुबंध समझौता को प्रथम भाग के आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (इसके बाद इसमें 'खरीदार' कहा जाता है, जो अभिव्यक्ति का अर्थ और सम्मिलित होगा, जब तक कि संदर्भ को अन्यथा आवश्यकता नहीं है, कार्यालय में उनके उत्तराधिकारियों और आबंटित करती है) और दूसरे भाग के मेसर्स.(इसके बाद इसमें 'बोलीदाता/विक्रेता' कहा जाता है जो अभिव्यक्ति का अर्थ और सम्मिलित होगा, जब तक कि संदर्भ को अन्यथा आवश्यकता नहीं है, उनके उत्तराधिकारियों और आबंटित को अनुमति दी गई है) के बीच वर्ष----- के -----महीने -----दिन किया जाता है।

जहाँ खरीदार (भंडार / उपकरण/ मद के नाम) को प्रापण के लिए प्रस्ताव करता है औ बोलीदाता/ विक्रेता प्रस्ताव के ए सूचित करता है/ बोलीदाता/ विक्रेता ने भंडार को प्रस्ताव दिया है और

जहाँ बोलीदाता एक निजी कंपनी/ सार्वजनिक कंपनी / सरकारी उपक्रम/साझेदारी/पंजीकृत निर्यात अभिकरण, इस मामले में संगत कानून के अनुसार गठित है और खरीदार एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

अतः, अब,

एक प्रणाली का पालन करके भ्रष्टाचार के सभी प्रकारों से बचने के लिए, जो निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रभाव/ पूर्वाग्रह व्यवहार से पहले, उसके दौरान और अनुबंध के प्रचलन के बाद प्रवेश किये जाने उद्देश्य से :-

उच्च लागत और सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचने के द्वारा परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वांछित भंडार/उपकरण प्राप्त करने के लिए खरीदार को सक्षम करना, और

बोलीदाताओं को उन्हें आश्वासन प्रदान करते हुए सुरक्षित अनुबंध के उद्देश्य से किसी भी भ्रष्ट प्रथा में रिश्वत देने या प्रदान करने से बचने के लिए सक्षम करना कि उनके प्रतिद्वंद्वी को भी रिश्वत और अन्य भ्रष्ट प्रथाओं से दूर रहना होगा और खरीदार किसी भी रूप में निम्नलिखित पारदर्शी कार्यविधियों को उनके अधीन कारियों से; भ्रष्टाचार से रोकने के लिए प्रतिबद्ध करेगा।

यह पक्षकार इस अखंडता संधि में प्रवेश के लिए एतद्वारा सहमत है और निम्नानुसार सहमत है:-

खरीदार की प्रतिबद्धता

1.1 खरीदार जिम्मेदारी लेता है कि खरीदार के कोई अधिकारी, जो अनुबंध के साथ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, बोलीदाता से सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से, किसी भी रिश्वत, चार, उपहार, इनाम, पक्षकार या किसी भी सामग्री या तत्काल लाभ या कोई अन्य लाभ, या तो स्वयं के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, संगठन बोली प्रक्रिया में लाभ के विनिमय में अनुबंध के तीसरे पक्षकार, अनुबंध से संबंधित बोली मूल्यांकन, अनुबंध या कार्यान्वयन प्रक्रिया में मांग नहीं करेगा।

1.2 खरीदार सभी बोलीदाताओं को पूर्व-अनुबंध स्तर के दौरान एक जैसा मानेगा और सभी बोलीदाताओं को एक ही जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी विशेष बोलीदाता को ऐसी जानकारी प्रदान नहीं करेगा जो अन्य बोलीदाताओं की तुलना में उस विशेष को लाभ प्रदान कर सके।

1.3 खरीदार के सभी अधिकारी उचित सरकारी कार्यालय को ऊपर उल्लिखित प्रतिबद्धताओं के किसी भी प्रयास या पूर्ण उल्लंघनों के साथ-साथ इस तरह के उल्लंघन के किसी भी पर्याप्त संदेह को रिपोर्ट करेंगे।

2. यदि ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) के किसी भी पूर्ववर्ती दुराचार को बोलीदाता द्वारा खरीदार को पूरा और सत्यापित तथ्यों की सूचना दी जाती है और यह पहले ही खरीदार द्वारा सही पाया जाता है, तो खरीदार द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही या कोई अन्य कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को अनुबंध प्रक्रिया से संबंधित आगे के लेन-देन से बहिष्कृत किया जाएगा। ऐसे मामले में, जब खरीदार द्वारा जांच की जा रही है, अनुबंध के तहत कार्यवाही स्थगित नहीं होगी।

बोलीदाताओं की प्रतिबद्धताएं

3. बोलीदाता अपने आप आपको अपनी बोली के किसी भी स्तर के दौरान या किसी अनुबंध के बाद या अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए किसी भी पूर्व अनुबंध या पश्च-अनुबंध के दौरान भ्रष्ट प्रथाओं, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और विशेषतः निम्नलिखित के लिए स्वयं ही प्रतिबद्ध है।

3.1 बोलीदाता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ खरीदार के किसी भी अधिकारी को सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से, किसी भी रिश्ते, उपहार, विचार, इनाम, पक्ष, किसी भी सामग्री या असंगत लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, ब्रोकरेज या प्रलोभन की पेशकश नहीं करेगा, बोली लगाने की प्रक्रिया के साथ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित, या किसी भी व्यक्ति, संगठन या अनुबंध की बोली, मूल्यांकन, अनुबंध और कार्यान्वयन में किसी भी लाभ के विनिमय में अनुबंध से संबंधित तृतीय पक्षकार।

3.2 बोलीदाता आगे जिम्मेदारी लेता है कि खरीदार के किसी भी अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी रिश्ते, उपहार, विचार, इनाम, पक्ष, कोई सामग्री या अथाह लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, ब्रोकरेज या प्रलोभन नहीं दिया है, या अन्यथा अनुबंध को प्राप्त करने में या अनुबंध के प्राप्त करने या निष्पादन के संबंध में किसी भी कार्य को करने से बच रहने के लिए या अलग रहे हैं, या अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए पक्ष या नापसंदगी दिखाने के लिए बचे रहना।

3.3 बोलीदाता आगे की पुष्टि करता है और खरीदार को घोषित करता है कि बोलीदाता ने किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से जुड़ा नहीं है, चाहे वह भारतीय या विदेशी जो मध्यस्थ करने, सुसाध्य करने या खरीदार को किसी भी सिफारिश करने में या उसके किसी भी कार्यकर्ता को, बोलीदाता के अनुबंध के प्रदान करने के लिए चाहे अधिकारिक रूप से या अनधिकारिक रूप से किसी भी ऐसी हिदायत, सुविधा या सिफारिश के संबंध में किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को किसी भी रकम का भुगतान नहीं किया गया है, देने का नहीं वादा किया गया है या विचार नहीं किया गया है।

3.4 बोलीदा बोली या पूर्व-अनुबंध वार्ता के दौरान या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, वह किसी भी भुगतान का प्रकटीकरण करेगा, जो खरीदार या उसके परिवार के सदस्यों, अभिकर्ताओं, ब्रोकरों या अनुबंध के संबंध में किसी भी अन्य मध्यस्थताओं को प्रतिबद्ध है और ऐसे भुगतान के लिए सहमत हुए सेवाओं के विवरण।

3.5 बोलीदाता अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्य पक्कारों से संलिप्त नहीं होगा जो बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति, बोली मूल्यांकन, अनुबंध के अनुबंधन और कार्यान्वयन को क्षति पहुंचाते हैं।

3.6 बोलीदाता किसी भी भ्रष्ट अभ्यास, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले किसी भी लाभ को स्वीकार नहीं करेगा।

3.7 बोलीदाता किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े वाहक में निहित जानकारी सहित, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों एवं व्यापारिक विवरणों के संबंध में व्यापार संबंधों के भाग के रूप में, खचारीदार द्वारा प्रतियोगिता या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्यों के लिए, या दूसरों को प्रदान करने के लिए, अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा। बोलीदाता भी उचित पर्याप्त देखभाल की जिम्मेदारी लेता है, ऐसा हो कि ऐसी कोई जानकारी प्रकट हो।

3.8 बोलीदाता पूरी तरह से और प्रमाणित तथ्यों के साथ समर्थन के बिना सीधे या किसी अन्य तरीके से किसी भी शिकायत देने से बचने के लिए प्रतिबद्ध है।

3.9 बोलीदाता उपरोक्त उल्लिखित किसी भी कार्य को कम करने के लिए किसी भी तीसरे व्यक्ति को भड़काने या उसके कारण पैदा नहीं करेगा।

3.10 यदि बोलीदाता या बोलीदाता को किसी भी व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोलीदाता की ओर से कार्य कर रहे हैं, के किसी भी कर्मचारी, खरीदार के किसी भी अधिकारी के रिश्तेदार हैं या वैकल्पिक रूप से, अगर खरीदार के किसी अधिकारी के कोई रिश्तेदार बोलीदाता की फर्म में वित्तीय ब्याज/ हिस्सेदारी, निविदा भरने के समय बोलीदाता के द्वारा इसका प्रकटीकरण किया जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए शब्द “ रिश्तेदार“ के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया जाएगा।

3.11 बोलीदाता, खरीदार के किसी भी कर्मचारी के साथ सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी पैसे से उधार या उधार नहीं लेंगे या किसी मौद्रिक सौदे या लेन-देन में प्रवेश नहीं करेगा।

4. पिछला उल्लंघन

4.1 बोलीदाता घोषित करता है कि पिछले तीन वर्षों में इस अखंडता संधि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ, किसी भी भ्रष्ट अभ्यासों के संबंध में या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारत में किसी भी सरकारी विभाग के साथ भ्रष्टाचार के संबंध में तत्काल कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है कि निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता के बहिष्कार को सही ठहरा सकता है।

4.2 बोलीदाता सहमत है कि यदि इस विषय पर गलत वक्तव्य दिया जाता है, तो बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या अनुबंध पहले ही दिया गया है, तो ऐसे कारण हेतु इस समाप्त कर दिया जा सकता है।

5. धरोहर राशि (प्रतिभूति जमा)

5.1 वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करते समय, बोलीदाता एक धरोहर राशि जो कि निम्न लिखित साधनों में से किसी के माध्यम से खरीदार के साथ धरोहर राशि / प्रतिभूति जमा के रूप में ----
----- (आरएफपी में निर्दिष्ट किया जाना) जमा करेगा:

(i) _____ के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या एक भुगतान आदेश

(ii) एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एक पुष्टिकृत गारंटी जो खरीदार को गारंटीकृत राशि के भुगतान को तीन कार्यदिवसों के भीतर मांग पर और बिना किसी कैं की मांग किए बगैर भुगतान का वादा करता है। खरीदार द्वारा भुगतान की मांग को भुगतान का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।

(iii) कोई अन्य प्रकार या किसी अन्य साधन के माध्यम से (आरएफपी द्वारा निर्दिष्ट किया जाना) ।

5.2 बोलीदाता और खरीदार दोनों की पूर्ण संतुष्टि लिए संविदात्मक दायित्वों का पूरा निष्कर्ष तक धरोहर राशि / प्रतिभूति जमा वैध रहेगा।

5.3 सफल बोलीदाता के मामले में, खरीद अनुबंध में निष्पादन बांड से संबंधित अनुच्छेद में उल्लंघन के लिए मंजूरी के प्रावधानों के निष्पादित बांड को जब्त करने के लिए खरीदार द्वारा इस संधि के उल्लंघन के लिए मंजूरी को लागू करने के लिए उसके कि सी भी बारण् बताए बिना ही जब्त करने के लिए निर्णय की दशा में होगा।

5.4 खरीदार द्वारा अपने प्रचलन की अवधि के लिए धरोहर राशि / प्रतिभूति जमा पर बोलीदाता को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

6. उल्लंघन के लिए प्रतिबंध

6.1 बोलीदाता द्वारा उपरोक्त प्रावधानों या इसके द्वारा नियोजित कोई भी या उसके द्वारा कार्य करनेवाले (बोलीदाता के ज्ञान में या ज्ञान के बिना) उपबंधों का कोई उल्लंघन, जहाँ आवश्यक हो वहाँ सभी या किसी एक अनुवर्ती कार्रवाई को लेने के लिए खरीदार को हकदार होगा:-

(i) बोलीदाता को कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए या बिना किसी बारण बताए पूर्व अनुबंध वार्ता के तुरंत बन्द करने के लिए, हालांकि, अन्य बोलीदाता (बोलीदाताओं) के साथ कार्यवाही जारी रहेगी (रहेगी)।

(ii) धरोहर राशि जमा (पूर्व-अनुबंध के स्तर में) और / या प्रतिभूति जमा / निष्पादन बांड (अनुबंध के हस्ताक्षर किए गए हैं के बाद) या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त कर लें, जैसा कि खरीदार द्वारा तय किया गया है और खरीदार को अतः किसी भी कारण को बताने के लिए आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) बोलीदाता को कोई क्षतिपूर्ति दिए बिना, यदि अनुबंध पहले से ही हस्ताक्षरित किए गए हैं, अनुबंध को तत्काल रद्द करने के लिए।

(iv) खरीदार द्वारा पहले से ही भुगतान किए गए सभी रकम पुनर्प्राप्त करने के लिए, और एक भारतीय बोलीदाता के मामले में, भारतीय स्टेट बैंक की मौजूदा प्राइम लेंडिंग दर की तुलना में 2% अधिक ब्याज, भारत के अलावा अन्य देश से बोलीदाता के मामले में, उस पर ब्याज के साथ लाइबोर 2% अधिक हैं। यदि कोई बकाया भुगतान किसी भी अन्य भंडार के लिए किसी अन्य अनुबंध के संबंध में खरीदार से बोलीदाता को देय है, ऐसे बकाया भुगतान को भी उपर्युक्त राशि और ब्याज को वसूल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(v) ब्याज के साथ, खरीदार द्वारा पहले से ही चुकाए गए, भुगतान को वसूल करने के उद्देश्य से यदि बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई अग्रिम बैंक गारंटी और निष्पादन बांड/ वारंटी बांड का भुनाने के लिए।

(vi) बोलीदाता के साथ सभी या किसी अन्य अनुबंध को रद्द करने के लिए, बोलीदाता ऐसे रद्दीकरण/ निस्तारण के परिणामस्वरूप खरीदार को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और खरीदार को बोलीदाता को देय धन से ऐसे देने योग्य राशि को काटने के लिए हक होगा।

(vii) बोलीदाता को पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि हेतु इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड की बोली प्रक्रियाओं में भाग लेने से भविष्य में रोकने के लिए जिसे आईआरईएल के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

(viii) अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए किसी भी बिचौलिया या अभिकर्ता या ब्रोकर को बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा इस संधि के उल्लंघन में भुगतान किए गए सभी रकम को वसूल करने के लिए।

(ix) ऐसे मामलों में जहाँ बोलीदाता के साथ खरीदार द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी अनुबंध के संबंध में क्रेडिट की अपरि वर्तनीय पत्र प्राप्त किया जा चुका है, उसे खोला नहीं जाएगा।

(x) इस संधि का उल्लंघन करने के लिए मंजूरी लागू करने के लिए किसी भी कारण बताए बिना उसी को जब्त करने के लिए खरीदार द्वारा निर्णय की दशा में निष्पादन बांड को जब्त करना।

6.2 खरीदार इस समझौते के पैरा 6.1 (i) से (x) में बोलीदाता द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति या उसकी ओर से कार्यरत (उसके साथ काम करते हुए) भारतीय दंड संहिता, 1860 या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिनियमित किसी भी अन्य कानून के अध्याय में वर्णित सभी या कोई भी कार्रवाई परिभाषित अपराध को बोलीदाता के ज्ञान के बिना करने का हकदार होगा।

6.3 इस प्रभाव को खरीदार के निर्णय पर कि इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन बोलीदार द्वारा किया गया है, बोलीदाता, इस संधि के प्रयोजनों के लिए नियुक्त स्वतंत्र मॉनीटर्स (मॉनीटरों) से संपर्क कर सकता है।

7. स्वतंत्र मॉनीटर

7.1 खरीदार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (दिए जाने वाले मॉनीटर के नाम और पते) के परामर्श से इस संधि के लिए स्वतंत्र मॉनीटर (इसके बाद इसमें मॉनीटर के रूप में संदर्भित) को नियुक्त किया है।

7.2 मॉनीटर्स का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा के लिए होगा, चाहे वे पक्कार इस संधि के अधीन कहाँ तक दायि त्वों का पालन करती है

7.3 मॉनीटर्स पक्षकारों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और वे कार्य निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करेंगे।

7.4 दोनों पक्षकार स्वीकार करते हैं कि मॉनीटर्स को परियोजना/ प्रापण से संबंधित सभी दस्तावेजों का उपयोग करने का अधिकार है, जिसमें बैठकों के कार्यवृत्त भी सम्मिलित हैं।

7.5 जैसे ही मॉनीटर के ध्यान में आता है या इस संधि के उल्लंघन पर विश्वास है तो वह खरीदार द्वारा पदनामित प्राधिकरण को सूचित करेगा।

7.6 बोलीदाता स्वीकार करता है कि बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए खरीदार सभी परियोजना दस्तावेजों को किसी भी प्रतिबंध के बिना पहुंच का अधिकार है। बोलीदाता भी मॉनीटर को उनके अनुरोध पर और एक वैध हित के प्रदर्शन, उनके परियोजना प्रलेखन के लिए अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुँच भी प्रदान करेगा। यह उप-संविदाकारों के लिए भी लागू है। मॉनीटर गोपनीयता के साथ बोलीदाता/उप संविदाकारों की जानकारी एवं दस्तावेजों को संविदात्मक दायित्व के अधीन होगा।

7.7 खरीदार परियोजना से संबंधित पक्षकारों के बीच सभी बैठकों के बारे में मॉनीटर को पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते ऐसी बैठकें पक्षकारों के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकती हैं। पक्षकार ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए मॉनीटर को विकल्प प्रस्तुत करेंगे।

7.8 मॉनीटर खरीद के पदनामित प्राधिकरण को खरीदार/बोलीदाता द्वारा उन्हें संदर्भ या सूचना देने की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर, लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, अवसर आने पर, समस्याग्रस्त स्थितियों को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

8. जाँच की सुविधा

इस संधि या आयोग के भुगतान के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के किसी भी आरोप के मामले में, खरीदार या उसकी अभिकर्ताओं को बोलीदाता के खातों की पुस्तकों सहित सभी दस्तावेजों की जांच का अधिकार होगा और बोलीदाता अंग्रेजी में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान करेगा, और ऐसी परीक्षा के प्रयोजन हेतु सभी संभव सहायता का विस्तार करेगा।

9. कानून और न्यायक्षेत्र का स्थान

यह संधि भारतीय कानून के अधीन है, निष्पादन और अधिकार क्षेत्र की जगह खरीदार की सीट है।

10. अन्य कानूनी कार्रवाइयाँ

अखंडता संधि में निर्धारित कार्रवाई किसी भी अन्य कानूनी कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है, जो किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित बल के मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुरूप हो सकते हैं।

11. वैधता

11.1 इस अखंडता संधि की वैधता, हस्ताक्षर करने की तिथि और अनुबंध के पूर्ण निष्पादन तक, दोनों खरीदार और बोलीदाता / विक्रेता, वारंटी अवधि सहित, जो भी बाद में हो, की संतुष्टि के लिए होगी। यदि बोलीदाता असफल हो, तो यह अखंडता संधि अनुबंध की हस्ताक्षर होने की तारीख से छह महीने के बाद समाप्त हो जाएगी।

11.2 इस संधि के एक या कई प्रावधानों को अमान्य घोषित करना चाहिए, इस संधि के शेष वैध बने रहेंगे। इस मामले में, पक्षकार अपने मूल विचारों के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास करेगी।

12. यह पक्षकार एतद्वारा इस सत्यता संधि पर _____ हस्ताक्षर किए हैं।

खरीदार

बोलीदाता

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

गवाह

गवाह

1.

2.